



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास - पीठासीन अधिकारी मनमोहन शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 162/2005
GCMS No. :- 2005/00008
तारीख दायर :- 20.09.2005

उनवान

1. शंकर पिता छोगा जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. लादु पिता छोगा जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. मु. फूमा बेवा छोगा जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (मृतक नाम हटाया गया)

—वादीगण

बनाम

1. बंशी पिता जीतमल जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. रतन पिता जीतमल जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. मु. कंकू बेवा जीतमल जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
4. सन्तोक बेवा मोहन जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
5. दुर्गालाल पिता नाथूलाल जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
6. गणेश पिता नाथूलाल जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
7. मु. फूमा बेवा नाथूलाल जाति ढोली निवासी राणीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
9. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा माण्डलगढ़ जरिये प्रबन्धक महोदय, सहकारी भूमि विकास बैंक, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत (अधिवक्ता वादीगण)।
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:- अन्तिम निर्णय :-

निर्णय दिनांक:- 08.09.2025

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाद नियमित सुनवाई दिनांक 21.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 318, 319, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 320, 321, 322, 323, 657/319 भूमि में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ ने उनके पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1223 दिनांक 17.07.2025 द्वारा आदेशानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 06.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस जमाबन्दी के प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-



राजस्थान सरकार

क्र स	नाम खातेदार	ग्राम, पटवार हल्का	आराजी संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	लगान
1	1. शंकर पुत्र छोगा हिस्सा 1/2 जाति ढोली सा. रानीखेड़ा खातेदार रहन :- SBI Bank Branch Mandalgarh 2. लादू पुत्र छोगा हिस्सा 1/2 जाति ढोली सा. रानीखेड़ा खातेदार रहन :- SBI Bank Branch Mandalgarh	नाहरगढ़, सुरास	320	0.1538	-
			321	0.1781	
			322 / 1	0.0809	
			326	0.3642	
			327 / 2	0.1382	
			330 / 1	0.1938	
			331	0.3318	
			334	0.0567	
			335	0.2995	
			318 / 1	0.4128	
			319 / 1	0.8441	
योग			किता 12	3.6383	-
2	1. कालु पुत्री बंशी 1/6 ढोली सा. राणीखेड़ा 2. चन्दा देवी पुत्री बंशी 1/6 ढोली सा. राणीखेड़ा 3. प्रेम देवी पत्नी बंशी 1/6 ढोली सा. राणीखेड़ा 4. रतन पुत्र जीतमल 1/2 ढोली सा. राणीखेड़ा रहन :- (सभी खातेदार यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बीगोद)	नाहरगढ़, सुरास	322 / 2	0.1053	-
			323	0.1214	
			324	0.2995	
			325	0.3885	
			327 / 3	0.0560	
			327 / 1	0.0972	
			328	0.0567	
			329	0.1295	
			330 / 2	0.1461	
			332	0.3157	
			318 / 2	0.7527	
			319 / 2	0.4267	
		657 / 319 / 2	0.7430		
योग			किता 13	3.6383	-
2	1. कालु पुत्री बंशी 1/12 ढोली सा. राणीखेड़ा 2. चन्दा देवी पुत्री बंशी 1/12 ढोली सा. राणीखेड़ा 3. प्रेम देवी पत्नी बंशी 1/12 ढोली सा. राणीखेड़ा 4. रतन पुत्र जीतमल 1/4 ढोली सा. राणीखेड़ा 5. शंकर पुत्र छोगा हिस्सा 1/4 जाति ढोली सा. रानीखेड़ा खातेदार 6. लादू पुत्र छोगा हिस्सा 1/4 जाति ढोली सा. रानीखेड़ा खातेदार रहन :- (सभी खातेदार पर जमाबन्दी अनुसार बदस्तुर रहन)	नाहरगढ़, सुरास	333	0.0890	-
			319 / 3	0.1618	
योग			किता 2	0.2508	-

lw



राजस्थान सरकार

उपर्युक्तानुसार खातेदारों के नाम पर भूमि पृथक-पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजी संख्या 328, 329, 331, 333, 334, 335 में जरिये विभाजन वादीगण को प्राप्त हुई है। उन आराजियात से प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को बेदखल कर विभाजन के अनुसार वादीगण कब्जा दिलाया जावे। वकील यादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुरतिब हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हो।

lw

(मनमोहन शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़